क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 188/सहमति-995/2024 दिनांक : 03/05/24

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernics Marg, New Delhi-110001

Sub:- Regading Response on behalf of Respondent no-2 Uttar Pradesh Pollution Control Board in the matter of O.A. No. 37/2024 in Re: Santosh Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors. order dated 18.03.2024.

Sir,

In compliance to the order dated 18.03.2024 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 37/2024 in Re: Santosh Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors, the response on behalf of Respondent no-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above

Your's Sincerely,

03/05/24
(Dr. Umesh Chandra Shukla)
Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow

Copy to:

1. District Magistrate, Sitapur.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
3. Chief Environment Officer (Circle-5), Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
4. Law Officer-I, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 37 of 2024

IN THE MATTER OF:

Santosh Singh ......**Applicant**

Versus

State of U.P. & Ors. ......**Respondent(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 18.03.2024 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL.

Sir,

The respondent no.-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board, hereinafter referred as UPPCB, most respectfully showed as under;

1- That vide its order dated 18.03.2024 this Hon'ble Tribunal has passed the following directions.

"......7. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the representative of UPPCB and District Magistrate, Sitapur, Uttar Pradesh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF......"

2- That in compliance to the order dated 18.03.2024 the Joint Committee comprising the representative of UPPCB and District Magistrate, Sitapur was formed by the District Magistrate Sitapur vide letter no. 120/O.A No-37/writ petition-232/2024 Dated 16-04-

2024 in which Sub District Magistrate, Tehsil-Laharpur, Sitapur, District Mining Officer, Sitapur and Environmental Engineer, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Lucknow were nominated for joint inspection. Copy of the letter is attached as **Annexure No-1.**

3- That in pursuance to the order dated 18.03.2024 passed by the Hon'ble NGT a notice was served on 18.04.2024 to the proprietor of M/s Baba Brick field, Tehsil-Laharpur, District-Sitapur vide letter dated 06.04.2024. Copy of which is attached as **Annexure No.-2**.

4- That the Joint inspection was conducted on dated 23-04-2024 by the Joint committee. The Brick Kiln M/s Baba Brick field was found operating without obtaining Consent to Operate from the State Pollution Control Board and also the Brick kiln was established without obtaining Consent to Establishment from State Pollution Control Board. Copy of the joint inspection report is attached as **Annexure No.-3**.

5- That as per the inspection report the brick kiln was not established as per the provisions of THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS(SITING CRITERIA FOR ESTABLISHMENT) RULES, 2012 dated June 27, 2012. The copy of the guideline is attached as **Annexure No.-4**.

6- That since the brick kiln was found operating during the time of inspection without obtaining consent to operate form the State Pollution Control Board, hence show cause notice has been issued for closure under section 31 A of The Air (Prevention and Control of Pollution) act 1981 vide letter No. H10197/C-5/178/O.A. No. 37/2024 Dated 02/05/2024. The copy of show cause notice is attached as **Annexure No.-5**.

7- That the brick kiln owner Shri Rasool Ahmad S/O Buddha Ali, Village-Karsaora, Tehsil-Laharpur, Thana-Talgoan has established the brick kiln M/s Baba Brick field without obtaining Consent to Establishment for the State Pollution Control Board and was operating the said brick kiln without obtaining Consent to Operate form the State Pollution Control Board which is against Law. Hence in view of this prosecution against the brick kiln owner to be initiated in the court of Special Judicial Magistrate Pollution Court.

Therefore, the response to the Respondent No.-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is being filed for the perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Yours' Sincerely

03/05/2024

(Dr. Umesh Chandra Shukla)
Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

पत्रांक संख्या:-120 / ओ0ए0 सं0-37 / याचिका-232 / 2024 दिनांकः- 16-4-24

कार्यालय आदेश

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-37/2024 संतोष सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18/03/2024 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि ईट भट्ठा मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, ग्राम-करस्योरा, तहसील-लहरपुर, जनपद-सीतापुर का स्थलीय निरीक्षण कर एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में 01 माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 18/03/2024 अनुपालन में प्रकरण पर जांच हेतु निम्नवत् टीम गठित की जाती है।

क्र0 सं0	इकाई का नाम व पता	गठित टीम
1	मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, ग्राम-करस्योरा, तहसील-लहरपुर, जनपद-सीतापुर।	1. सुश्री आकांक्षा गौतम, उपजिलाधिकारी, लहरपुर, सीतापुर। 2. सुश्री शालिनी कुमारी, खान अधिकारी, सीतापुर। 3. श्री ऋतेश कुमार तिवारी, पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण कर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर 01 सप्ताह के अन्दर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी,
सीतापुर

प्रतिलिपि :-

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सीतापुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-5, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
सीतापुर

Annexure-2

कार्यालय जिलाधिकारी, सीतापुर।
(खनन अनुभाग)

पत्र सं0 11 /एनजीटी/ईट भट्ठा/2023–24 दिनांक 08 अप्रैल, 2024

उपजिलाधिकारी, लहरपुर
जनपद सीतापुर

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के पत्र सं0 NGT/Judicial/OA/37-2024 दिनांक 03.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अंतर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 37/24 श्री संतोष सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के पैरा नं0 6 में निम्नवत् निर्देश दिये गये है। जो निम्नवत् हैः–

"6. Notice be served on the Project Proponent- M/s, Baba Brick Field, Tehsil Laharpur, District Sitapur, Uttar Pradesh through the District Magistrate, Sitapur, Uttar Pradesh and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sitapur, Uttar Pradesh by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard.

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न नोटिस की प्रति ईट भट्ठा मेसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, लहरपुर को एक प्रति तामील कराकर तीन दिवस में आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी,
सीतापुर।

संख्या व दिनांक समांक
प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी,
सीतापुर।

518
कृपया नोटिस तामील कराकर आख्या दें।
SDM 08/04/24
उप जिलाधिकारी
लहरपुर–सीतापुर

122/1

N M
09/04/24

BY SPEEDPOST A.D./EMAIL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

O.A. No. 37/2024

Santosh Singh Vs State of U.P. & Ors.

To

1. State of Uttar Pradesh
   Through District Magistrate, Sitapur
   Collectorate Sitapur,
   Phone: 05862- 242996
   Email: dmsit@nic.in **(Respondent No. 1)**

2. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board
   T.C-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
   Lucknow, U.P: -226010
   Phone: - 0120-2720895
   Email: ms@uppcb.in **(Respondent No. 2)**

3. **M/s. Baba Brick Field,**
   Village- Karsyora, Tehsil Laharpur, District Sitapur,
   Uttar Pradesh- 261135 (Respondent No. 3)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 18.03.2024 (copy of order, & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

"4. In view of the facts and circumstances of the case we consider it necessary to have response from (1) the State of Uttar Pradesh through District Magistrate, Sitapur, (2) Member Secretary, UPPCB and (3) the Project Proponent-M/s. Baba Brick Field, Tehsil Laharpur, District Sitapur, Uttar Pradesh who stand impleaded as respondents no. 1 to 3.
5. The Registry is directed to prepare memo of parties and attached with the same with the application and to issue notices to respondents no. 1 to 3 requiring them to file their reply/response within one month.
6. Notice be served on the Project Proponent- M/s. Baba Brick Field, Tehsil Laharpur, District Sitapur, Uttar Pradesh through the District Magistrate, Sitapur, Uttar Pradesh and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sitapur, Uttar Pradesh by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard
8. List for further consideration on 10.05.2024.."

******

2. Now, take further notice that the above application will be listed for further hearing before the Hon'ble Tribunal 10th May, 2024, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file report/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 18.03.2024.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 03rd April, 2024.
   Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

3/4/2024

Consultant (Judicial), NGT

२०-५-२०५१, लहरपुर

बनाम सुशील कुमार S/o शिवकुमार   बनाम अनिल कुमार
S/o रामलाल

श्री मान जी
18-5-24
मुन्शी

श्रीमान जी
आज दि० 18.5.24 को करस्पोन्स हुन्नम मैसर्स आभा बिल्डी फील्ड को तलाश किया। वह नहीं मिले तब गोविन्द प्रवन मुंशी को देकर हस्ताक्षर बनवा लिया। रिपोर्ट गवाह सहित प्रेषित है।
तमिल कु० आख्या।

अग्रसारित
20-5-2024

सत्यापित एवं प्रमाणित
नायब नाजिर
20-5-2024
लहरपुर

निरस्तीकरण

Annexure-3

सेवा में,

जिलाधिकारी

सीतापुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ0ए0 संख्या–37/2024 संतोष सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 अन्य में पारित आदेश दिनांक 18/03/24 के मुख्य अंश निम्नवत् है–

," In view of the facts and circumstances of the case we consider it necessary to have response from (1) the State of Uttar Pradesh through District Magistrate, Sitapur, (2) Member Secretary, UPPCB and (3) the Project Proponent-M/s. Baba Brick Field, Tehsil Laharpur, District Sitapur, Uttar Pradesh who stand impleaded as respondents no. 1 to 3. 5. The Registry is directed to prepare memo of parties and attached with the same with the application and to issue notices to respondent's no. 1 to 3 requiring them to file their reply/response within one month. 6. Notice be served on the Project Proponent- M/s. Baba Brick Field, Tehsil Laharpur, District Sitapur, Uttar Pradesh through the District Magistrate, Sitapur, Uttar Pradesh and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sitapur, Uttar Pradesh by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard. 7. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the representative of UPPCB and District Magistrate, Sitapur, Uttar Pradesh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action......"

List for further consideration on 10.05.2024.

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में मै0 बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707 ग्राम–करस्योरा तह0–लहरपुर थाना–तालगॉव, सीतापुर का निरीक्षण जिलाधिकारी, सीतापुर एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा नामित प्रतिनिधियों द्वारा भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण 23/04/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री रसूल अहमद पुत्र बुद्धा अली उपस्थित थे। स्थल निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. निरीक्षण से पूर्व संदर्भित ईट भट्ठे के प्रतिनिधि को नोटिस प्राप्त करायी गयी। शिकायतकर्ता श्री संतोष सिंह का पूर्ण पता एवं उपलब्धता न होने की दशा में सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका।
2. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। भट्ठे में कच्चे माल के रूप में मिट्टी द्वारा पाथी गयी ईट का प्रयोग कर लगभग 20000 ईट/दिन का उत्पादन किया जाता है। भट्ठा हाई ड्राफ्ट पद्धति पर आधारित है। भट्ठे के साथ संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग–120 फिट ऊँची है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठा 11 पाये का है।
3. ईट भट्ठा वर्ष–2018 स्थापित होना तथा वर्ष–2019 से संचालित होना इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया। ईट भट्ठा जी0एस0टी0 विभाग में दिनांक 07/12/2018 से पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या–09AELPA9755R1ZJ है, जी0एस0टी0 की पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। ईट भट्ठे द्वारा जिला पंचायत में दिनांक 28/12/2018 से पंजीयन शुल्क जमा किया जा रहा है। ईट भट्ठे द्वारा जिला पंचायत में वर्ष–2019, 2020, 2021 में जमा की गयी पंजीयन शुल्क के रसीद की प्रति संलग्न है।

4. ईट भट्ठे द्वारा मिट्टी खनन हेतु धनराशि वर्ष–2019–20 एवं वर्ष–2020–21 में जमा किये जाने की रसीद इकाई प्रतिनिधि द्वारा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है परन्तु खनन अनुज्ञा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। वर्तमान में ईट भट्ठे को मिट्टी खनन हेतु खनन विभाग से अनुज्ञा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है।
5. निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी पथाई का कार्य नहीं हो रहा था किन्तु ईट भट्ठे में कच्ची ईट भरी हुयी थी तथा ईट को पकाने हेतु फुकाई का कार्य किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ की प्रति संलग्न है।
6. ईट भट्ठा खसरा संख्या–706, 707 ग्राम–करस्योरा तह0–लहरपुर थाना–तालगॉव, सीतापुर में स्थापित हैं ईट भट्ठे की चिमनी खसरा संख्या–706 पर स्थापित है। ईट भट्ठे का अक्षांश एवं देशान्तर 27.637566 एवं 80.907116 अंकित है। ईट भट्ठे की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर ग्राम–करस्योरा स्थित है जिसकी आबादी 1000 से अधिक सूचित है, ईट भट्ठे के पश्चित दिशा में लगभग 700 मी0 की दूरी पर ग्राम–डेन नगर, उत्तर दिशा में लगभग–900 मी0 की दूरी पर ग्राम–वाकरनगर एवं दक्षिण दिशा में लगभग–900 मी0 की दूरी पर ग्राम–टकेली स्थित है। ईट भट्ठे की स्थापना ईट भट्ठा उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना एवं मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं की गयी है।
7. ईट भट्ठे को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु सहमति एवं संचालन हेतु सहमति जल/वायु निर्गत नहीं है। ईट भट्ठे को खनन विभाग से मिट्टी खनन हेतु भी अनुज्ञा पत्र निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय भट्ठा बिना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति(जल/वायू) के संचालित पाया गया।

निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

24.4.2024
(ऋतेश कुमार तिवारी)
पर्यावरण अभियंता
क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

24/04/24
(शालिनी कुमारी)
खनन अधिकारी
सीतापुर।

24.4.24
(अकांक्षा गौतम)
उपजिलाधिकारी,
तहसील–लहरपुर,
सीतापुर।

13 मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा सं0—706, 707, ग्राम—करस्योरा, तहसील—लहरपुर, थाना—तालगांव, सीतापुर।

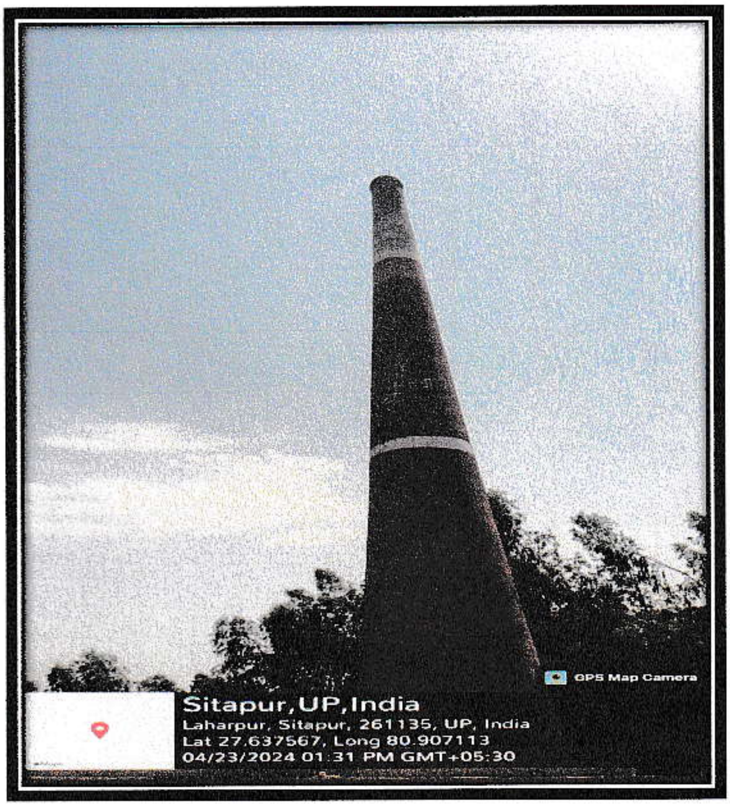

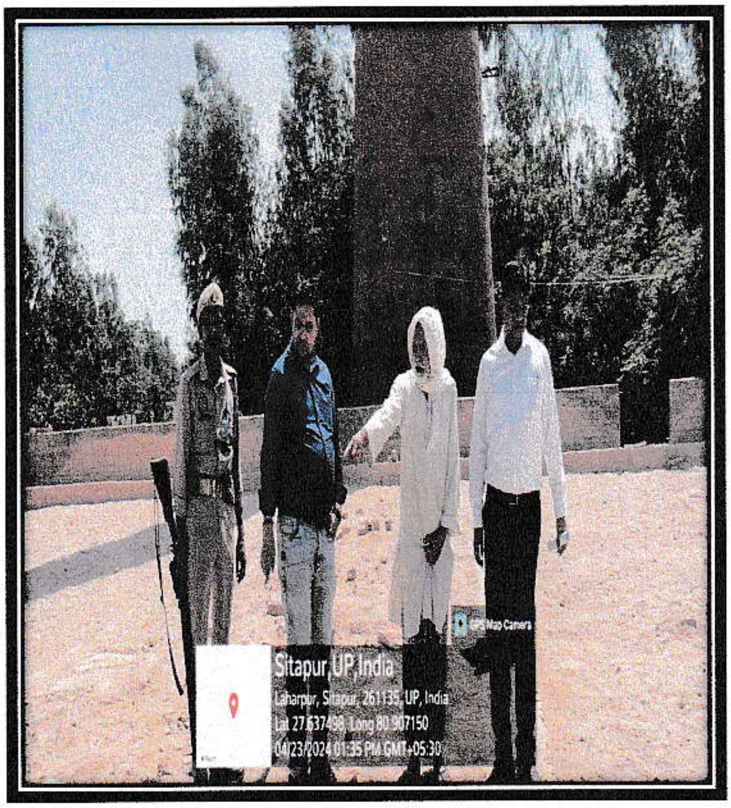

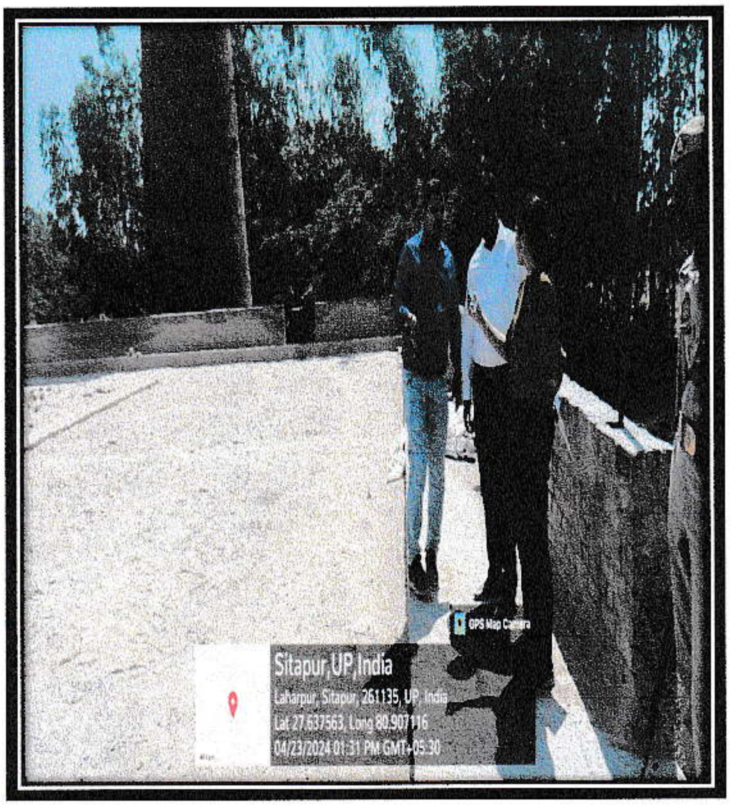

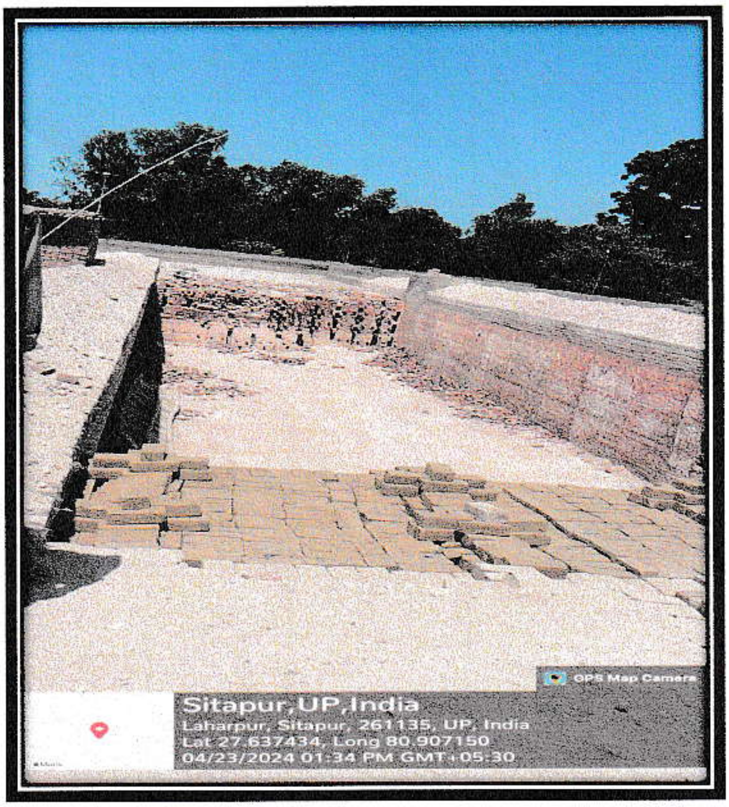

14

जिला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

ल साइडेड कार्बन पेपर पर (अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

रिषद् जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

या .... रसीद संख्या 461420

स्टर संख्या .... से

.... (रुपया शब्दों में)

ध्या .... के पूर्ण/आंशिक भुगतान

.... मद्दे प्राप्त हुआ।

.... रुपया

मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर)

रोकड़िया

मांग तथा वसूली का प्रभारी लिपिक

पर अधिकारी।

पी0-01 जिला पंचायत-13.9.2017-5000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

वही संख्या .... रसीद संख्या 461420

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम ....

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ....

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ....

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने ....

धनराशि वसूल की ....

इस कूपन को जमा करने वाले ....

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

15

जिला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

डबुल साइडेड कार्बन पेपर पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

परिषद् जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

ख्या — रसीद संख्या

जिस्टर संख्या — से

(रुपया शब्दों में)

संख्या — के पूर्ण/आंशिक भुगतान

— के मद्दे प्राप्त हुआ।

रुपया

मुख्य अधिकारी/प्रखंड विकास अधिकारी

कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर)

रोकड़िया

मांग तथा वसूली के प्रभारी लिपिक

कर अधिकारी।

30/10/19

मूल्य =

ए०पी०-01 जिला पंचायत-30.04.2019-2000 बुक (डी०टी०पी०/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

वही संख्या — रसीद संख्या

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई

025309

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने

धनराशि वसूल की

इस कूपन को जमा करने वाले

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

जिला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या-5

(नियम 41 देखिये)

(डबुल साइडेड कार्बन पेपर पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

जिला परिषद जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड स्टाम्प

बही संख्या ———— रसीद संख्या ————

मांग रजिस्टर संख्या ———— से

———— (रुपया शब्दों में)

बिल संख्या ———— के पूर्ण/आंशिक भुगतान

———— के मद्दे प्राप्त हुआ।

रुपया

022649

मुखिया/अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

स्थान ————

दिनांक ————

कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर)

रोकड़िया

मांग तथा वसूली का प्रभारी लिपिक

कर अधिकारी।

लेखाकार

मूल्य =

जी0एस0यू0पी0-01 जिला पंचायत-30.04.2019-2000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

वही संख्या ———— रसीद संख्या ————

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम ————

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ————

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ————

022649

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने ————

धनराशि वसूल की ————

इस कूपन को जमा करने वाले ————

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

ला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

साइडेड कार्बन पेपर" पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

इ जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

रसीद संख्या 015116

र संख्या

से

(रुपया शब्दों में)

के पूर्ण/आंशिक भुगतान के मद्दे प्राप्त हुआ।

रुपया 11005-00

मुख्य अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

30/11/18 कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर)

रोकड़िया

मांग तथा वसूली का प्रभारी लिपिक

कर अधिकारी।

मूल्य =

ा0-01 जिला पंचायत-30.04.2019-2000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

वही संख्या ______ रसीद संख्या 015116

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम ______

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ______

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ______

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने ______

धनराशि वसूल की ______

इस कूपन को जमा करने वाले ______

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

17

जिला परिषद्/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

(डबल साइडेड कार्बन पेपर पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

जिला परिषद् जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड स्टाम्प

वही संख्या ——— रसीद संख्या ———

मांग रजिस्टर संख्या ——— से

——— (रुपया शब्दों में)

बेल संख्या ——— के पूर्ण/आंशिक भुगतान

——— के मद्दे प्राप्त हुआ।

रुपये 022650

——— अधिकारी/खंड विकास अधिकारी

स्थान ———

दिनांक ———

कर-समाहर्त्ता (टैक्स कलेक्टर)

रोकड़िया

——— तथा वसूली का प्रभारी लिपिक

——— कर अधिकारी।

लेखक ———

मूल्य =

10एस0यू0पी0-01 जिला पंचायत-30.04.2019-2000 बुक (डी0टी0पी0/आफसेट)।

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

जिला परिषद्/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड़ स्टाम्प

वही संख्या ——— रसीद संख्या ———

रसीद के अनुसार भुगतानकर्त्ता का नाम ———

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि ———

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई ———

022650

रसीद के अनुसार कर-समाहर्त्ता का नाम, जिसने ———

धनराशि वसूल की ———

इस कूपन को जमा करने वाले ———

अधिकारी का नाम तथा पदनाम

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule [illegible]]

Registration Certificate

Registration Number : 09AELPA9755R1ZJ

1.	Legal Name	RASOO[illegible] AHMAD ANSARI			
2.	Trade **Name, if any**	M/S BABA BRICK FIELD			
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship			
4.	**Address of Principal Place of Business**	, , KARSEORA, LAHARPUR, SITAPUR, Sitapur, Uttar Pradesh, 261135			
5.	**Date of Liability**	07/12/[illegible]			
6.	**Period of Validity**	From	07/12/2018	To	NA
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving** Authority	Uttar Pradesh			

Signature

Signature Not Verified
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK [illegible]
Date: 2018.12.11 [illegible]

Name	Ashok Kumar
Designation	Assistant Commissioner
Jurisdictional Office	Sitapur ,Sector-1
9. Date of issue **of** Certificate	11/12/2018
Note: The registration certificate is required to be promin[illegible] displayed at all places of business in the State.	

This is a system generated digitally signed Registration C[illegible] based on the approval of application granted on 11/12/2018 by the jurisdictional authority.

GSTIN	09AELPA9755R1ZJ
Legal Name	RASOOL AHMAD ANSARI
Trade Name, if any	M/S BABA BRICK FIELD

Details of Proprietor

1

Name	RASOOL AHMAD ANSARI
Designation/Status	PROPRIETOR
Resident of State	Uttar Pradesh

Annexure A

;TIN	09AELPA9755R1ZJ
gal Name	RASOOL AHMAD ANSARI
ıde Name, if any	M/S BABA BRICK FIELD

:tails of Additional Places of Business

'otal Number of Additional Places of Business in the State 0

पुनरीक्षित चालान फार्म 43 ए (1)
वित्तीय नियम संग्रह–6 भाग–2
प्रपत्र संख्या–43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

a5373

दिनांक........................

कोषागार/बैंक का नाम–भारतीय स्टेट बैंक, सीतापुर।

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	पता	पंजीकरण संस्था/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	जमा की जा रही धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष मे जमा की जा रही है।)	चालान की सकल धनराशि	चालान की निबल राशि	लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/ लेखाशीर्षक की मुहर	लेखीशीर्षक का डिजीटल कोड
मेसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, कस्यौरा तहसील लहरपुर प्रो0 श्री रसूल अहमद पुत्र बुद्धा नि0 ग्रा0 कस्यौरा तहसील लहरपुर जनपद सीतापुर।			ईट भट्ठा सत्र 2018–19 हेतु समाधान योजना के अन्तर्गत अग्रिम रायल्टी	1–आवेदन शुल्क	2,000.00		
				2–रायल्टी (11 पाया जिगजैग)	1,59,300.00		
				3–पलोथन (रायल्टी का 10	15,930.00		

मुख्य लेखा–शीर्षक				उप–मुख्य शीर्षक		लघु–शीर्षक			उप–शीर्षक		ब्यौरेवार–शीर्षक			धनराशि (अंको मे)
0	8	5	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1,77,230.00

धनराशि (शब्दों मे)–रू0 एक लाख सत्तहत्तर हजार दो सौ तीस मात्र।

चालान मे लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी/अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या.......C-786517.......अंको मे रुपये.......................दिनांक.......

.......................शब्दों मे रूपये.......................प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैक की मुहर सहित

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)
नोट/सिक्के

2000X
500 X
100 X
50 X
20 X
10 X
5 X

भारतीय स्टेट बैंक, सीतापुर
07 MAR 2019

...शि का 10 प्रतिशत की धनराशि जिला खनिज न्यास के मद मे जमा किये जाने हेतु आवेदन प्रारूप

जमाकर्ता का विवरण		लाभार्थी का विवरण	
जमाकर्ता का नाम/फर्म का नाम	मेसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, कस्यौरा तहसील लहरपुर (11 पाया जिगजैग)	BENEFICIARY NAME	DISTRICT MINIRAL FUND SITAPUR
खाता संख्या		ACCOUNT NO.	50404888971
जमा धनराशि	17723.00	TYPE OF ACCOUNT	SAVING ACCOUNT
कमीशन		BANK NAME	ALLAHABAD BANK
शब्दो मे	योग	IFSC CODE	ALLA0212208 (FIFTH DIGIT IS ZERO)
चेक संख्या	दिनांक	BRANCH	VIKAS BHAWAN SITAPUR
आवेदक का मोबाइल नम्बर		CITY NAME	SITAPUR
आवेदक का हस्ताक्षर			

जिलाधिकारी कार्यालय सीतापुर

FOR BANK USE ONLY

TRANSACTIONS DETAIL:

		SINGNATURE & BANK SEAL
TRANSFER AMMOUNT	17723/-	
GENRAL NO./UTR NO.	1198054	
DATE	7/3/19	

Q 332034 Q 370346

TAX PAYER COUNTERFOLIO

TAN NO.	L K N D 0 5 8 2 4 A
RECIVED FORM	
CHEQUE NO.	RS. 3652
Rs. IN WORDS	Three Thousand six hundred fifty two
DRAWN BANK	
	NAME OF THE BANK AND BRANCH

TAX APPLICABLE (TICK ONE)

TAX DEDUCTED / COLLECTED AT SOURCE

20	COMPANY DEDUCTEES		21	COMPANY DEDUCTEES	√

TYPE OF PAYMENT	6 C H	
TDS/TCS PAYABLE BY TAXPAYER	200	√
TDS/TCS REGULAR ASSESSMENT	400	

SPACE FOR BANK SEAL

भारतीय स्टेट बैंक ... 0780
यू० आई० डी० नं० 3400388 ...
3652
07 MAR 2019

RS.

ईट भट्ठे का नाम व पता–मेसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, कस्यौरा तहसील लहरपुर
11 इंच जिगजैग

25

Q 10782

पुनरीक्षित चालान फार्म 43 ए (1)

वित्तीय नियम संग्रह–6 भाग–2

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

2019-20

दिनांक.................

कोषागार/बैंक का नाम–भारतीय स्टेट बैंक, सीतापुर।

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से घनराषि जमा की जा रही है उसका नाम	पता	पंजीकरण संस्था/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	जमा की जा रही धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष मे जमा की जा रही है।)	चालान की सकल धनराशि	चालान की निबल राशि	लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर	लेखीशीर्षक का डिजीटल कोड
मेसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, कस्यौरा तहसील लहरपुर प्रो0 श्री रसूल अहमद पुत्र बुद्धा नि0 ग्रा0 कस्यौरा तहसील लहरपुर जनपद सीतापुर।			ईट भट्ठा सत्र 2019–20 हेतु अग्रिम विनियमन शुल्क	1–आवेदन षुल्क	2,000.00		
				2–विनियमन शुल्क (11 पाया जिगजैग)	1,32,300.00		
				3–पलोथन 10 प्रतिशत	13,230.00		

मुख्य लेखा–षीर्शक	उप–मुख्य षीर्शक	लघु–षीर्शक	उप–षीर्शक	ब्यौरेवार–षीर्शक	धनराषि (अंको मे)
0 8 5 3	0 0	1 0 2	1 0	0 0 0	1,47,530.00

धनराषि (षब्दों मे)–रू0 एक लाख सैंतालिस हजार पांच सौ तीस रुपये मात्र।

चालान मे लेखाषीर्शक की पुश्टि करने वाले विभागीय अधिकारी अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

नावेद आलम
जमाकर्ता के नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोशागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या AF00103 ....अंकों मे रुपये.......................................दिनांक.......

...............................षब्दों मे रुपये...प्राप्त किया।

PF No.-3435925 KULDEEP NARAIN

14 JAN 2020

नकद/अन्तरण द्वारा जमा/प्राप्त

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोशागार/बैंक की मुहर सहित

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)
नोट/सिक्के

2000X 52 = 104000/-
500 X 27 = 13500/-
100 X 300 = 30000/-
50 X
20 X
10 X 3 = 30/-
5 X

147530.00

147530

कोषागार प्रपत्र – 209(1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –5, भाग –2
प्रपत्र संख्या 43ए. (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

पाये – 11 पाये जिगजैग

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा	भारतीय स्टेट बैंक सीतापुर।
11. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है, उसका नाम	मेसर्स बाबा ब्रिक फील्ड
12. पता	कस्यौरा, लहरपुर, सीतापुर।
13. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	ईंट भट्ठा सत्र 2020–21
14. जमा की जा रही धनराशि का पूर्व विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है, तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	आवेदन पत्र शुल्क रू0 = 2000.00
15. चालान की सकल राशि	विनिमय शुल्क रू0 = 1,32,300.00
16. चालान की निबल राशि	पलोथन हेतु बलुई मिट्टी 10प्रतिशत रू0 = 13,230.00
17. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मोहर	
18. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड	

मुख्य लेखा शीर्षक	उपमुख्य शीर्षक	लघुशीर्षक	उपशीर्षक	ब्यारे का शीर्षक	धनराशि अंको में
0 8 5 3	0 0	1 0 2	1 0	0 0 0	2000.00
					1,32,300.00
					13,230.00
				योग	1,47,530.00

(धनराशि शब्दों में) –रू0 एक लाख सैतालिस हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र।

चेक संख्या 261889
भारतीय स्टेट बैंक स्टेशन रोड,
सीतापुर

(Stamp: District Majistrate Sitapur)

चालान में लेखा की पुष्टि करने वाले अधिकारी व हस्ताक्षर मुहर सहित।

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या........		अंको में रूपया	
		शब्दो में रूपया	

(Stamps: भारतीय स्टेट बैंक, सीतापुर, 0720 ... 2546515 B. K. Panday ... 30 JAN 2021 ... द्वारा जमा/भुगतान)

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/बैंक की मुहर

4600/01) AU 00127

Annexure-4

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग

संख्याः 921 /55–पर्या / 12–94(पर्या) / 11
लखनऊ, दिनांक 27 ~~अप्रैल~~ जून, 2012

अधिसूचना

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईंट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आवासीय क्षेत्र / जनसंख्या / संवेदनशील क्षेत्र / आम अथवा फलदार बागों से दूरी

2. उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–18, सन् 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईंट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है :–

(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगां, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100–150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

(दो) कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण किया

जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी.जेड.) क्षेत्र के मामले में समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे—

(तीन) कोई ईंट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईंट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पाँच) कोई ईंट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छः) कोई ईंट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईंट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के 'बफर जोन' में कोई ईट भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईंट भट्ठा से दूरियाँ प्रत्येक दिशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईंट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईंट भट्ठा की स्थापना हेतु अनुमति

3. ईंट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईंट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्सर्जन मानक

4. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा ईंट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईंट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस आर 543(ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।

ईंट भट्ठे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियाँ

5. इस नियमावली के अधीन स्थापित ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:–

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डंण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में;

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे--पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईंटों की पथाई में फ्लाई एश :

परन्तु स्पेण्ट आर्गनिक, साल्वेन्ट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेश केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक रबड़, चमड़ा का ईंट भट्ठा में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ईंट भट्ठे स्वत्वधारी के कर्तव्य

6. (1) ईंट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईंट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड़ है।

(2) तड़ित हमले के कारण भट्ठे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार

तड़ित अवरोधक ईंट भट्ठा के लिए स्थापित किया जायेगा।

(3) ईंट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख-रखाव प्रक्रिया जिसमें, कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईंटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईंट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईंटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खडी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि-भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

ईंट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

7. कोई व्यक्ति जो कि ईंट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईंट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद् से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि, कोई ईंट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यावरण अनुभाग
संख्या–921/55–पर्या/12–94(पया)/11
लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2012

दिनांक 27 जून, 2012 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापन हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सदस्य–सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे आगामी गजट अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वेब मास्टर/वेब अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
उप सचिव।

Annexure-5

32

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या- H10197 /सी–5/ 17010.AN37/24 दिनांक 2-5-24
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड,
खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव,
सीतापुर

मो. 9918575420

यह कि मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 सख्या–37/2024 संतोष सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मे पारित आदेश के अनुपालन में उक्त ईंट भट्ठे का निरीक्षण जिलाधिकारी, सीतापुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के नामित प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 23.04.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। ईट भट्ठे द्वारा ईंधन के रूप में कोयला एवं लकड़ी का प्रयोग कर लगभग 20,000 ईंट/दिन का उत्पादन का कार्य किया जाता है। निरीक्षण के समय स्थल पर मिट्टी पथाई का कार्य नहीं हो रहा था किन्तु ईट भट्ठे में कच्ची ईट भरी हुयी थी तथा ईट को पकाने हेतु फुकाई का कार्य किया जा रहा था।

यह कि ईट भट्ठा खसरा संख्या–706, 707 ग्राम–करस्योरा तह0–लहरपुर थाना–तालगॉव, सीतापुर में स्थापित हैं ईट भट्ठे की चिमनी खसरा संख्या–706 पर स्थापित है। ईट भट्ठे का अक्षांश एवं देशान्तर 27.637566 एवं 80.907116 अंकित है। ईट भट्ठे की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर ग्राम–करस्योरा स्थित है जिसकी आबादी 1000 से अधिक सूचित है, ईट भट्ठे के पश्चित दिशा में लगभग 700 मी0 की दूरी पर ग्राम–डेन नगर, उत्तर दिशा में लगभग–900 मी0 की दूरी पर ग्राम–वाकरनगर एवं दक्षिण दिशा में लगभग–900 मी0 की दूरी पर ग्राम–टकेली स्थित है। ईट भट्ठे की स्थापना ईट भट्ठा उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना एवं मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं की गयी है।

यह कि ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ हेतु सहमति एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नहीं है। ईट भट्ठे को खनन विभाग से मिट्टी खनन हेतु भी अनुज्ञा पत्र निर्गत नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय भट्ठा बिना सहमति (जल एवं वायु) के संचालित पाया गया, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लघंन है। ईट भट्ठे द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में दिनांक 03.11.2022 को प्रथम बार सहमति हेतु आवेदन किया गया, किन्तु पूर्ण सूचना/प्रपत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में ईट भट्ठे के सहमति आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया था। राज्य बोर्ड से अनापत्ति एवं सहमति प्राप्त न होने की दशा में ईट भट्ठे पर वर्ष 2012 में जारी ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 प्रभावी होगी। ईंट भट्ठा स्थल निरीक्षण के समय उक्त नियमावली के अनुरूप नही पाया गया है।

...2

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–150/सहमति–995/2024 दिनांक 24.04.2024 द्वारा उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 31 'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईंट भट्ठा मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर के विरूद्ध निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह मैसर्स बाबा ब्रिक फील्ड, खसरा संख्या–706, 707, ग्राम–करस्योरा, तह0–लहरपुर, थाना–तालगॉव, सीतापुर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईंट भट्ठा एवं ईंट भट्ठे स्वामी का होगा।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सीतापुर।
3. जिला खनन अधिकारी, सीतापुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईंट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

% G.C.